परेषण निर्यात (विश्वव्यापी कंपनी) पॉलिसी - क्या करें

• अधिकतम देयता:

सुनिश्चित करें कि किसी भी समय, अंतिम खरीदारों पर बकायों के लिए पॉलिसी के अंतर्गत पर्याप्त अधिकतम देयता उपलब्ध है।

• पॉलिसी की वैधता:

सुनिश्चित करें कि पॉलिसी आपके पोतलदानों को संरक्षित करने के लिए हमेशा वैध है।

• इकनेक्टिविटी:

पॉलिसीधारकों के लिए उपलब्ध ईसीजीसी के डेटाबेस से ऑनलाइन जुड़ने के लिए अपना ग्राहक आई डी व पासवर्ड प्राप्त करें।

• अग्रिम प्रीमियम:

आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बीमा अधिनियम 1938 की शर्तों के अनुसार बीमाकृत जोखिम के प्रारंभ होने से पूर्व बीमाकर्ता को प्रीमियम प्राप्त होना चाहिए। ईसीजीसी अब इन प्रावधानों से बाध्य है। कृपया सुनिश्चित करें कि रक्षा की वैधता के दौरान हर समय आप निम्नलिखित का अनुपालन करें :

(क) पॉलिसी के साथ संलग्न अनुसूची I में विनिर्दिष्ट अनुसार परिकल्पित पण्यावर्त और भुगतान की शर्तों पर मासिक / तिमाही / वार्षिक आधार पर अग्रिम प्रीमियम भेजें।

(ख) पोतलदान करने से पूर्व ईसीजीसी के जमा प्रीमियम खाते में हमेशा पर्याप्त प्रीमियम की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

(ग) यदि वास्तविक निर्यात, परिकल्पित निर्यातों से अधिक है सुनिश्चित करें कि जमा प्रीमियम खाते में समुचित प्रीमियम जमा किया गया है ताकि पोतलदानों को संरक्षित किया जा सके।

• अंतिम खरीदारों पर साख - सीमा:

कृपया नोट करें कि साख सीमा वह सीमा है जहाँ तक ईसीजीसी पॉलिसी के अंतर्गत अंतिम खरीदार पर वाणिज्यिक जोखिमों के कारण हुई हानि की स्थिति में दावे पर विचार करेगा।

सुनिश्चित करें कि किए जाने वाले पोतलदानों को संरक्षित करने हेतु अंतिम खरीदारों/बैंक पर समुचित व पर्याप्त साख सीमा उपलब्ध है।

• उन खरीदारों की सूची जिनका निगम को प्रतिकूल अनुभव है:

पोतलदान करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि खरीदार का नाम उस सूची में नहीं है जिनका ईसीजीसी को प्रतिकूल अनुभव है और जो ईसीजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसे खरीदारों पर विवेकाधीन सीमा प्राप्त न करें और ऐसे खरीदारों को पोतलदान ना करें।

• पोतलदान विवरण:

प्रत्येक माह की 15 तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत करें :

(क) पिछले माह के दौरान विश्वव्यापी कंपनी को किए गए पोतलदानों के विवरण सहित पोतलदानों की घोषणा। यदि कोई पोतलदान नहीं किया गया है तो "शून्य" घोषणा प्रस्तुत करें।

(ख) पिछले माह के दौरान विश्वव्यापी कंपनी के जरिये अंतिम खरीदारों को की गई सभी विक्री पर विस्तार से विक्री विवरण।

(ग) प्रारंभिक स्टॉक पर पिछले माह के विवरण सहित स्टॉक की स्थिति, माल का संचालन व अंतिम स्टॉक।

• अतिदेय विवरण:

अंतिम खरीदार को विश्वव्यापी कंपनी के जरिये पोतलदान के मामले में पिछले माह के अंत तक 30 दिनों से अधिक समय से अतिदेय रहे भुगतानों की घोषणा करते हुए प्रत्येक माह की 15 तारीख को अथवा उसके पूर्व अतिदेय की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

• 360 दिनों के बाद देय तिथि में विस्तार:

360 दिनों के बाद देय तिथि में विस्तार के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें एवं अतिरिक्त प्रीमियम भेज दें।

• हानि कम करना:

किसी पोतलदान का भुगतान न किए जाने की स्थिति में अथवा जोखिम को प्रभावित करने वाली किसी घटना के उत्पन्न होने पर नीचे दर्शाए अनुसार कार्रवाई कर हानि को कम करने के लिए कदम उठाएँ:

(क) यदि यह माल को स्वीकार न करने के कारण है तो माल की अभिरक्षा हेतु उसे बंधित मालगोदाम में रखने और वैकल्पिक खरीदार की खोज, बिलों को खरीदार के देश के नोटरी द्वारा नोट व प्रसाक्ष्यित करवाने, मूल खरीदार को पुनर्विक्री / पुनर्आयात / परित्याग आदि के लिए सूचना देने जैसे आवश्यक कदम उठाएँ।

(ख) यदि माल को स्वीकार करने के उपरांत भुगतान ना किया गया हों तो, खरीदार के देश के नोटरी द्वारा बिलों को नोट व प्रसाक्ष्यित करवाएँ और खरीदार के विरूद्ध कानूनी वसूली अधिकार बनाए रखें। ऋण वसूलीकर्ता एजेंट, खरीदार के देश में चेंबर ऑफ कॉमर्स, विदेशों में भारतीय दूतावास आदि की सहायता प्राप्त करें। खरीदार के देश में स्थित ऋण वसूली एजेंटों से सूची प्राप्त करने के लिए निगम से संपर्क किया जा सकता है।

(ग) यदि उस खरीदार को जिसने पहले किए गए पोतलदानों जो पहले ही अतिदेय हो गए हैं, का भुगतान नहीं किया है, उसे आगे और पोतलदान करना है तो ईसीजीसी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(घ) ईसीजीसी द्वारा समय-समय पर सूचित किए अनुसार हानि को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।

दावा दाखिल करना:

भारत में विक्री आय की वसूली हेतु देय तारीख से दो वर्ष के भीतर दावा दाखिल करें। यदि दावा दाखिल करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की जरूरत है, दावा दाखिल करने में समय सीमा के विशिष्ट विस्तार हेतु इसका कारण बताते हुए ईसीजीसी से संपर्क करें।

वसूली कार्रवाई:

(क) ऋण की वसूली के लिए तत्काल व प्रभावी कदम उठाना। कृपया खरीदार पर वसूली अधिकार बनाए रखें। समय पर की गई कार्रवाई से वसूली की संभावना बढ़ जाती है।

(ख) यदि भुगतान न किए जाने का कारण, अंतिम खरीदार का दिवालियापन है, कृपया आवश्यक जानकारी व दस्तावेजों के साथ सरकारी रिसीवर के पास अपना दावा दाखिल करें। कृपया सुनिश्चित करें कि दिवालिया की परिसंपत्ति पर दावा रिसीवर द्वारा स्वीकार किया गया है।

(ग) ईसीजीसी के साथ वसूली की हिस्सेदारी उसी अनुपात में करना जिसमें ईसीजीसी द्वारा दावे का निपटान किया गया था।

परेषण निर्यात (विश्वव्यापी कंपनी) पॉलिसी - क्या न करें

- ईसीजीसी के डेटाबेस से जुड़ने के लिए ग्राहक आई डी व पासवर्ड लेना न भूलें।

अगले माह/तिमाही जैसा भी मामला हों, में किए जाने वाले पोतलदानों को ित करने हेतु देय प्रीमियम को ईसीजीसी के जमा प्रीमियम खाते में ीमियम रखना न भूलें।

त निर्धारित तारीख के भीतर किए जाने वाले पोतलदानों की करना न भूलें।

के अंतर्गत संरक्षित सभी पोतलदानों

दानों के म

ार्डर के अनु

दान किए जाने हैं, पर

य, निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध ईसीजीसी

ुमव वाले खरीदारों की सूची की जाँच करना न भूलें।

- प्रतिबंधित रक्षा वाले देशों को पोतलदान के लिए निगम का विशिष्ट अनुमोदन लेना न भूलें।
- अंतिम खरीदार को विश्वव्यापी कंपनी द्वारा/के माध्यम से किए गए पोतलदानों के मामले में पिछले माह के अंत तक 30 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहे भुगतानों की घोषणा करते हुए प्रत्येक माह की 15 तारीख को या उसके पूर्व अतिदेय की रिपोर्ट करना न भूलें।

भुगतान प्राप्त न होने या माल को स्वीकार न करने जैसा भी मामला हो, की स्थिति में खरीदार के देश में बिल को नोट व प्रसाक्ष्यित करना न भूलें (जहाँ ऐसा संभव न हो, उसे छोड़कर)।

ईसीजीसी द्वारा सूचित किए जाने पर वसूली हेतु ऋण एजेंट की नियुक्ति करना न भूलें।

चूककर्ता खरीदारों को आगे और पोतलदान न करें और विदेशी इकाई को सूचित करें कि अंतिम खरीदार को माल का परेषण तब तक न करें जब तक कि पहले के भुगतान प्राप्त नहीं हो जाते। यदि आगे और पोतलदान करने हैं तो ईसीजीसी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें।

यदि भारत में निर्यात आय प्राप्त करने में, भारत से पोतलदान करने की तारीख से 360 दिनों से अधिक का विलंब होने की संभावना है और अंतिम खरीदार देय तारीखों में विस्तार चाहते हैं, देय तारीखों में विस्तार हेतु निगम का पूर्व अनुमोदन लेना न भूलें।

पुनर्विक्री के मामले में निगम का पूर्व अनुमोदन लेना न भूलें, यदि वैकल्पिक खरीदार को पुनर्विक्री के कारण होने वाली हानि, सकल बीजक मूल्य के 25% से अधिक हो।

जब को पुनर्विक्री पर हानि सकल बीजक ईसीजीसी को सूचित करना न भूलें।

गम का पूर्व अनुमोदन लेना न भूलें, यदि न व्यय सकल बीजक मूल्य के 25%

सकल बीजक मूल्य के 25% से कम न भूलें।

पूर्व अनुमोदन लेना न भ

निगम के पूर्व

समझौता

र्म में

and advise the global entity not to consign the goods to the defaulted buyer.

b. Take the necessary steps to minimize the loss as advised by ECGC from time to time.

- **LODGEMENT OF CLAIM:**

File the claim within two years from the due date for realization of the sale proceeds in India. If further time is required for filing the claim, please approach ECGC for specific extension in time for the claim along with the reasons thereof.

- **RECOVERY ACTION**

a. Take prompt and effective steps for recovery of debt. Please maintain recourse against the buyer. Timely action ensures better recovery prospects.

b. If non-payment is due to insolvency of the ultimate buyer please file the claim with the official receiver with necessary information and documents. Please ensure that the claim is acknowledged by the receiver of the insolvent's estate.

c. Share the recovery with ECGC in the same ratio in which the claim has been settled by ECGC.

CONSIGNMENT EXPORTS (GLOBAL ENTITY) POLICY – DON'TS

- Do not fail to obtain Customer ID and Password for access to the database of ECGC.
- Do not fail to keep adequate premium in the Deposit Premium Account with ECGC to cover the premium due for shipments in next month or quarter as the case may be.
- Do not fail to submit monthly statement of shipments within the dates prescribed under the policy.
- Do not fail to declare all the shipments covered under the policy in the monthly statements.
- Do not make any errors in value of the shipments, terms of payment, etc. while declaring the shipments.
- Do not fail to obtain credit limit on LC/DP/DA/OD terms on the ultimate buyers/banks.
- Do not fail to check the list of buyers on whom ECGC has had adverse experience at the time of shipment which is available on its web-site.
- Do not fail to obtain specific approval for shipments to Restricted Cover Countries.
- Do not fail to submit the report of overdue on or before 15th of every month, declaring the payments which are overdue for more than 30 days as at the end of previous month in case of shipments by/through the Global Entity to the ultimate buyer.
- Do not fail to get the bill noted and protested for non payment or non-acceptance in the buyer's country, as the case may be (excepting where this is not possible)
- Do not fail to engage a Debt Collection Agent for recovery when advised by ECGC.
- Do not make further shipments to the defaulted buyers and advise the overseas unit not to consign the goods to the ultimate buyer until the earlier payments are realised. Seek the prior approval of ECGC in case further shipments are to be made.
- Do not fail to obtain p

- **a)**

b)

- **a)**

b)

-
-
-
-
-
-